

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क

/2016

अम-1896-10E-16

1. शकुन्तला बाई पिता भागीरथ वयस्क निवासी तलावली चांदा इंदौर म.प्र. ।
2. कुसुम पत्नि राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट वाजना तहसील माठ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश  
.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. अजय राठौर आ0 श्री पी.एन. राठौर निवासी लोधी मोहल्ला , गंज सीहोर तहसील व जिला सीहोर म.प्र.
2. नवीन कुमार आ0 श्री सूरज प्रसाद
2. अनिल कुमार आ0 श्री सूरज प्रसाद
3. संतोष कुमार आ0 श्री सूरज प्रसाद
4. गिरीश समाधिया आत्मक सूरज प्रसाद (मृतक) द्वारा वारिसान-

अ-श्रीमती रेखा विधवा गिरिश समाधिया

ब-अभिषेक आ श्री गिरीश समाधिया

स-राहुल आ. गिरीश समाधिया

ब व स नावालिग संरक्षिका माता श्रीमती रेखा समाधिया वयस्क सभी निवासी लोधी मोहल्ला गंज सीहोर म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व सहिता , 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 के तहत विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क अपील पुर्नविलोकन 493/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 6.6.2016 के विरुद्ध निगरानी ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन एवं निगरानी है ।

श्री सुनील सिंह, कानून  
द्वारा आज दि 15-6-16 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


श्रीमान जी  
15-6-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1896-II/2016

जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
04-8-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री सुनील जादौन उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित।</p> <p>2/ पूर्व पेशी दिनांक 29-6-16 को अनावेदक अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि मेरी केवीयेट होने के बावजूद भी मुझे सुनवाई का अवसर से वंचित करते हुये स्थगन आदेश पारित किया गया था। इस संबंध में तथ्यात्मक जांच कर कार्यवाही हेतु सचिव राजस्व मण्डल को पत्र भेजा गया था, जो अप्राप्त है। पुनः स्मरण पत्र भेजकर उक्त पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष राजस्व मण्डल को भेजी जाये।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक ने अनुरोध किया कि प्रकरण नोट प्रेस के आधारपर खारिज कर दिया जाये। अनावेदक अभिभाषक ने सहमति प्रदान करते की। आवेदक अभिभाषक की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है।</p> <p>4/ प्रकरण अभिलेखागार को भेजा जाये। किन्तु पूर्व में सचिव से प्रतिवेदन भेजने हेतु पत्र भेजा जाकर पृथक से अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	